| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>भभूतराम महेन्द्र गारू बनाम राज्य सरकार<br><br>राज. गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 प्रकरण संख्या 02/2024 | नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.07.2024 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह उपस्थित।<br><br>संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी महेन्द्र गारू पुत्र अमरसिंह चौधरी जाति जाट निवासी गारासनी तहसील व पुलिस थाना भोपालगढ़, जोधपुर ग्रामीण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत जब्तसुदा वाहन बोलेरो पिक–अप को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर रिलीज किये जाने हेतु पेश किया।<br><br>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी थानाधिकारी भोपालगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1806 दिनांक 12.06.2024 प्राप्त हुई।<br><br>प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि प्रार्थी महेन्द्र गारू का एक वाहन बोलेरो पिकअप रजि. नं. RJ-21-GC-9605 पुलिस थाना भोपालगढ़ ने मुकदमा संख्या 80 दिनांक 12.04.2024 में वजह सबूत जब्त कर अपनी तहमील में लिया। उक्त वाहन का महेन्द्र गारू पंजीकृत स्वामी है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 6 ए के तहत जब्तसुदा वाहन का निस्तारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना है। बहस में आगे प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से थानाधिकारी भोपालगढ़ द्वारा उक्त जब्त सुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नही होना बताया तथा जब्तसुदा वाहन को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर रिलीज किय जाने की प्रार्थना की।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया तथा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2018 का अध्ययन भी किया। धारा 6ए प्रवहण के साधन का अधिहरण का प्रावधान दिया गया तथा इसके लिए सक्षम प्राधिकारी (जिले का कलक्टर) प्राधिकृत है। धारा 6 ए (2) के अनुसार अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना अभिगृहित करने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, का प्रावधान है, पुलिस थाना भोपालगढ़ द्वारा पालना नही की गई।<br><br>धारा 6ए (2) के तृतीय परन्तुग में अधिहरण का आदेश करने के पूर्व, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय का विकल्प दिया जाने का प्रावधान है।<br><br>लगातार................ | |

पुलिस रिपोर्ट (पत्रांक 1806 दिनांक 12.06.2024) के अनुसार दिनांक 12.04.2024 को दिनांक 11.04.2024 को सुबह करीब 11 बजे एक पिकअप गाडी RJ-21-GC-9605 में जोराराम व भभूतराम गावं से नंदी के पैरो का बाधंकर गाड़ी में डालकर चोरी करके अवैध परिवहन करके बेचान का कार्य करने के लिए पिकअप में भरकर जा रहे थे, उक्त कार्य में गाडी का ड्राईवर व उक्त दोनो व्यक्ति मिलकर गोतस्करी कर रहे थे। ग्रामीणों को देखकर भागने पर ग्रामीणों ने पुलिस का इतलाह दी तो पुलिस ने मौके पर जोराराम को गिरफ्तार किया तथा मुकदमा नंबर 80 दिनांक 12.04.2024 जुर्म धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 व धारा 379 भादस में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। बाद जांच अभियुक्त जोराराम व भभूतराम के विरूद्ध जुर्म धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 व धारा 9 राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया तथा रिपोर्ट में जब्तसुदा वाहन आरजे 21 जीसी 9605 की अनुसंधान में आवश्यकता नही होना बताया।

अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी महेन्द्र गारू का जब्तसुदा वाहन सं. RJ-21-GC-9605 का उपयोग उक्त अपराध के लिये किया गया वाहन अधिहरण योग्य है तथा धारा 6ए (2) के तृतीय परन्तुग में उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय का विकल्प दिया जाने का प्रावधान है, की पालना में वाहन स्वामी के जब्तसुदा वाहन RJ-21-GC-9605 को जब्तसुदा वाहन के वर्तमान बाजार मूल्य का जमानतनामा व उसी मूल्य का सुपुर्दगीनामा पेश करने पर निम्नशर्तो के अधीन वाहन स्वामी को वाहन लौटाने के आदेश दिया जाता है:—

1— उक्त वाहन न्यायालय में चल रहे प्रकरण का निस्तारण होने न होने तक बेचान नही किया जायेगा।

2— न्यायालय द्वारा तलब करने पर न्यायालय में पेश करना होगा।

3— वाहन में किसी प्रकार से बदलाव नही करेंगे।

आदेश आज दिनांक 24.07.2024 को सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर ग्रामीण

जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) राज

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) राज.